UPSI010017502026

न्यायालय विशेष न्यायाधीश (ई0सी0एक्ट)/अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश, कोर्ट संख्या–4, सीतापुर।

जमानत प्रार्थना पत्र संख्या–108/2026

CIS NO–755/2026

रामदत्त यादव उम्र करीब 50 वर्ष पुत्र बृजपाल यादव निवासी ग्राम सिकलनिया चौराहा, पोस्ट सरौरा कलॉ, जिला सीतापुर। अभियुक्त।

बनाम

सरकार विपक्षी/अभियोगी।

अ0सं0–1492/2022
धारा–138 (1) बी भारतीय विद्युत अधिनियम
थाना–एण्टी पावर थेफ्ट, थाना–सीतापुर
जनपद–सीतापुर।

निस्तारण प्रथम जमानत प्रार्थना–पत्र

1– यह प्रथम जमानत प्रार्थना पत्र अभियुक्त रामदत्त यादव की ओर से मुकदमा अपराध संख्या–000000, अन्तर्गत धारा–138 (1) बी भारतीय विद्युत अधिनियम, थाना–एण्टी पावर थेफ्ट, थाना–सीतापुर, जिला–सीतापुर के मामले में प्रस्तुत किया गया है। अभियुक्त आत्मसमर्पण कर न्यायिक अभिरक्षा में है।

2– जमानत प्रार्थना–पत्र के समर्थन में स्वयं का शपथ–पत्र दाखिल किया गया है, जिसमें यह कहा गया है कि यह उसका प्रथम जमानत प्रार्थना पत्र है। इसके अतिरिक्त कोई अन्य जमानत प्रार्थना पत्र न तो खारिज हुआ है और न ही विचाराधीन है। अभियुक्त के जमानत प्रार्थना पत्र में कहा गया है कि उसे रंजिशन झूँठा फंसाया गया है। उसने विद्युत चोरी नहीं की है। कोई स्वतंत्र साक्षी नहीं है। विद्युत बकाया धनराशि जमा कर दी है, जिसकी रसीदें व कम्पाउण्डिंग आख्या संलग्न जमानत प्रार्थना पत्र हैं। अतः जमानत पर रिहा किए जाने की याचना की गयी है।

3 अभियोजन द्वारा जमानत का विरोध किया गया है।

4– अभियुक्त के विद्वान अधिवक्ता एवं विद्वान अभियोजन अधिकारी के तर्कों को सुना तथा पत्रावली का अवलोकन किया।

5– मामले के तथ्य, प्रथम सूचना रिपोर्ट के अनुसार संक्षेप में इस प्रकार हैं कि वादी मुकदमा जगदीश प्रसाद अवर अभियन्ता द्वारा इस आशय की प्रथम सूचना रिपोर्ट दर्ज करायी गयी कि पूर्व में दौरान निरीक्षण बकाया विद्युत धनराशि पर अभियुक्त का संयोजन विच्छेदित कर दिया गया था। उसके उपरान्त दिनॉक 09–11–2022 को समय 15–00 बजे हाईलॉस फीडर पर विद्युत चोरी कम करने के लिए दौरान औचक निरीक्षण अभियुक्त को अवैध रूप से विद्युत का चोरी से उपभोग करते पाया गया था। उक्त के आधार पर अभियुक्त के विरूद्ध थाना–एण्टी पावर थेफ्ट, थाना–सीतापुर में मुकदमा अपराध संख्या–1492/2022, अन्तर्गत धारा–138 (1) बी भारतीय विद्युत अधिनियम, थाना–एण्टी पावर थेफ्ट, थाना–सीतापुर में प्रथम सूचना रिपोर्ट दर्ज की गयी। मामले में विवेचना के पश्चात् अभियुक्त के विरूद्ध

Digitally signed by SHAILENDRA KUMAR VERMA
Date: 2026.03.12 16:48:31 IST
Reason: Document Owner
Location: District and Sessions Court Sitapur

धारा—138 (1) बी भारतीय विद्युत अधिनियम, थाना—एण्टी पावर थेफ्ट, थाना—सीतापुर के अन्तर्गत आरोप पत्र प्रेषित किया गया।

6— अभियुक्त द्वारा विद्युत बकाया धनराशि का भुगतान किया गया है, जिसकी विद्युत बकाया जमा रसीदें व कम्पाउण्डिग आख्या जमानत प्रार्थना पत्र के साथ दाखिल की गयी हैं। मामले के तथ्य व परिस्थितियों को दृष्टिगत रखते हुए अभियुक्त को जमानत पर छोड़े जाने का आधार पर्याप्त है एवं अभियुक्त का जमानत आवेदन स्वीकार किये जाने योग्य है।

आदेश

अभियुक्त रामदत्त यादव की ओर से मुकदमा अपराध संख्या—1492/2022, अन्तर्गत धारा—138 (1) बी भारतीय विद्युत अधिनियम, थाना—एण्टी पावर थेफ्ट, थाना—सीतापुर, जिला—सीतापुर के मामले में प्रस्तुत प्रथम जमानत प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाता है। अभियुक्त को मु0 20,000/—रुपये का व्यक्तिगत बंधपत्र व समान धनराशि की दो प्रतिभू दाखिल करने पर जमानत पर रिहा किया जाये।

(शैलेन्द्र कुमार वर्मा)
विशेष न्यायाधीश(ई0सी0 एक्ट)/
अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश,
कक्ष संख्या—4, सीतापुर।
J.O. CODE-UP-6377

दिनाँकः—12—03—2026
राम रहीस/—